संख्याःई0डी0एन0–एच(5)सी(15)336 / 84 / सामान्य
उच्चत्तर शिक्षा निदेशालय, हिमाचल प्रदेश सरकार
दिनांकः शिमला–171001 मार्च, 2020

सेवा में,

शिक्षा निदेशालय उच्चतर

समस्त उप–निदेशक (उच्चतर शिक्षा)
हिमाचल प्रदेश

16 MAY 2020

विषयः– अकेंक्षण प्रतिवेदनो से संबधित अभिलेखो के उचित रख–रखाव के बारे।

उपरोक्त विषय के संबध में आपके ध्यान में लाया जाता है कि प्रधान महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला द्वारा शिक्षा विभाग के शैक्षिणिक संस्थानों के निधि लेखों के निरिक्षण मे पाया गया है कि हिमाचल प्रदेश मे शिक्षा विभाग के बहुत से शैक्षिणिक संस्थानों के अत्यधिक मात्रा में गत अवधियों के अकेक्षण प्रतिवेदनों की प्रतियों का रख–रखाव उचित ढंग से नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया है कि पैरो के समायोजन हेतु तर्दथ समिति की बैठकों में भी पुराने पैरों की अनुपालना में आवश्यक दस्तावेजों के अभाव के कारण भी पैरों का समायोजन नही हो पाता है परिणामस्वरूप पैरो की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है।

अतः इस विषय में आपको निर्देश दिये जाते है कि आप अपने कार्यालय तथा सभी शिक्षण संस्थानों को अंकेक्षण प्रतिवेदन जैसे महत्वपूर्ण अभिलेखों के उचित रख–रखाव के साथ संभालने के निर्देश जारी करें तथा साथ मे पैरो से संबधित सभी आवश्यक दस्तावेजो को तैयार रखें। क्योंकि हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा इस निदेशालय को पहले ही अनुरोध किया जा चुका है कि प्रत्येक संस्था को गत अवधियों के अकेक्षण प्रतिवेदनों की प्रतियों को प्रेषित करना उनके लिये मुख्यालय स्तर संभव नही है।

इसे प्राथमिकता के आधार पर अमल में लाया जाए।

हस्ता/-
(डा0 अमरजीत कुमार शर्मा)
निदेशक
शिक्षा निदेशालय(उच्चत्तर),
हिमाचल प्रदेश।

पृष्ठाकंन संख्याः सम दिनॉक शिमला– मार्च, 2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवशयक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. उप–निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला (हि0प्र0)।
2. शाखा अधिकारी सुचना प्रोद्योगिकी, शिक्षा विभाग (उच्चतर) को इस पत्र को विभागिय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. रक्षित नस्ति।

(संयुक्त नियन्त्रक (वि0 एवं ले0),
शिक्षा निदेशालय(उच्चत्तर),
हिमाचल प्रदेश।